

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक- 03. 12. 2021 को झाँसी क्लब झाँसी में आयोजित जिला अधिवक्ता दिवस के कार्यक्रम में मा० महोदया व अन्य न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में अपराधी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शिवहरे द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति , न्यायिक अधिकारियों व न्यायालय के बाबत अशोभनीय शब्दों का खुले आम प्रयोग करने पर स्वतः संज्ञान लेने व उक्त अधिवक्ता के उक्त कृत्य के बाबत मा० न्यायालय को सूचित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि दिनांक- 03. 12. 2021 को झाँसी क्लब झाँसी में जिला अधिवक्ता दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें मा० महोदया, जिला अधिकारी झाँसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी, अन्य न्यायिक अधिकारीगण के साथ- साथ जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) , अन्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) , अन्य विद्वान अधिवक्तागण, पुलिस कर्मचारीगण, न्यायालय के कर्मचारीगण एवं मीडिया के व्यक्ति मौजूद थे ।

जिला अधिकारी झाँसी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कार्यक्रम से जाने के पश्चात श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवोकेट द्वारा भाषण दिया गया जो अत्यन्त अशोभनीय था और न्यायिक गरिमा के विपरीत तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा मा० महानिबन्धक महोदय मा० उच्च न्यायालय को पत्र सं० 443/ XV दिनांकित 23. 02. 2010 द्वारा अवगत कराया गया था जिसमें तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 23. 10. 2010 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे के मध्य अधिवक्ताओं के गुट द्वारा न्यायालय परिसर के अन्दर, कार्यालयों व न्यायालय कक्षों में तोड़- फोड़ कर न्यायालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, न्यायिक कार्यवाही बाधित करने व न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में था जिसमें विद्वान अधिवक्ताओं में सर्वश्री 1. पं० चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट, 2. सुरेश सैनी एडवोकेट, 3. श्री पुष्पेन्द्र रिसारिया एडवोकेट, 4. श्री बृजेन्द्र निगम एडवोकेट, 5. श्री प्रमोद कुमार मिश्रा एडवोकेट, 6. श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवोकेट (लगभग 100 अधिवक्ताओं का एक गुट) थे ।

तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित किया था कि " उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि अधिवक्ताओं के इसी गुट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय परिसर में अभद्र व्यवहार, नारेबाजी आदि की कार्यवाही की गयी थी, जिसकी सूचना मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा इस कार्यालय के अभिलेख

के पत्र सं० 65/ SAO/ 2009 दिनांकित 08. 05. 2009 के माध्यम से मा० उच्च न्यायालय को प्रेषित की गई थी।"

श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवोकेट द्वारा उक्त कार्यक्रम में जो वक्तव्य दिया उसका संक्षेप में सार इस प्रकार

है:-

आज से डेढ़ माह पहले जिला अधिवक्ता संघ का शपथग्रहण समारोह हुआ था जो लक्ष्मी गार्डन में हुआ था जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारी थे प्रशासनिक न्यायाधीश। प्रशासनिक न्यायाधीश को जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा दो ज्ञापन दिये गये थे:-

1. एक ज्ञापन था मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को झाँसी जजी कोर्ट में स्थानांतरित किया जावे मगर डेढ़ माह हो चुका है, हमें लगता है वह ठण्डे बस्ते में चला गया है या हमारा ज्ञापन डस्टबिन में चला गया है तो बन्धुओं
2. एक दूसरा और मामला था एक अपर जिला जज साहब का भी ज्ञापन दिया गया था उनके हठधर्मी पूर्ण स्वैये के कारण हमारे सामने बैठे हुए वकील भाई असंतुष्ट थे, जिला जज से शिकायत की गयी थी और प्रशासनिक जज को भी दिया गया था उसमें भी उन्होंने कोई इन्ट्री नहीं ली है, लगता है वह भी डस्टबिन में चला गया है तो बन्धुओं हम सब इस आशय से कि हम न्याय दिलायेंगे और जब न्याय दिलाने वालों के संग अन्याय हो तो हम कहाँ जायें।
3. इसलिये हमारे नेता हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम नेता जी से निवेदन करेंगे कि इस समय हमें न्यायमूर्ति श्री राजेश जिंदल साहब जी विराजमान हैं। राजेश जिंदल साहब जी ने औचक निरीक्षण इलाहाबाद का कैमपस का किया और कानपुर जनपद का किया। मैं पाण्डेय जी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ सामने नीचे बैठे हुए भाईयों जिन्होंने आपके लिए जीजान लगा दिया, बुराइयाँ ली लोगों से आपको वोट दिया आप जिन्दल साहब का समय दिलाइये झाँसी का एक प्रतिनिधि मण्डल जाये और वो उनसे निवेदन करे यहाँ कि समस्याये बताये, यहाँ समस्याये बहुत हैं, मगर हमारे भाई कहने में संकोच करते हैं कि भईया ऐसा न हो हमारी वकालत बैठ जाये।
4. हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि वकालत कल बैठत थी तो अबे हाल बैठ जाये। मगर अगर राजेश जिन्दल साहब जी ने अगर मा० न्यायमूर्ति साहब का अपूर्ण समय दिलाया तो यहाँ कि मैं एक - एक बात रखूँगा उनके सामने और उनको मजबूर कर दूँगा कि यहाँ औचक निरीक्षण करे हमारे भाईयों की समस्याये सुने और उनका निराकरण करे।
5. क्योंकि अभी आपने सुना होगा भाईयों अखबार पढ़ते ही हैं आप बुद्धिजीवी हैं कि अभी एक फुल कोर्ट हुई जिसमें अखबार में पढ़ा होगा आपने ग्यारह लोगों के खिलाफ क्या हुआ।
6. तो बन्धुओं और बार संघ की भी एक ड्यूटी है कि बार संघ झाँके कि कहाँ क्या हो रहा है। **एक- एक न्यायालय में तीन- तीन प्राईवेट बाबू बैठे हुए हैं, ये तीन- तीन प्राईवेट बाबू कहाँ से तनखाह लेंगे।** ये हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, इनकी जेबें काट रहे हैं, वो प्राईवेट लोग और क्या उनको अधिकार है न्यायालय में प्राईवेट लोगों के बैठने का।
7. **और जो योग्य बाबू हैं, पेशकार हैं, उनको गरौठा, और मउ और जो है मोठ में पोस्टिंग दी जा रही है।**
8. **और जिनको कार्य करने की क्षमता नहीं है वो यहाँ विराजे हुए हैं।** मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ कार्य प्रभावित हो रहा है।
9. **कुछ फाईलों के चैक गायब हैं उनमें न्यायिक अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, कुछ फाईलें ही गायब हैं जो**

नहीं मिल रही हैं क्या उनके खिलाफ F. I. R. नहीं होना चाहिए।

10. मगर हमारा भाई ये सामने बैठा हुआ है हर आदमी का कलेजा प्रमोद शिवहरे की तरह नहीं लड़ता है जो मंच से यह बात कह सके। इसलिए बन्धुओं में आपकी आवाज है, आपके कहने पर यह बात रख रहा हूँ और अगर मेरा आपके खातिर मेरा गला भी कट जाये तो मैं अपना गला कटाने को भी तैयार हूँ।

मु० अपराध सं० 85/ 2010 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 352, 440, 332, 307, 308, 353/ 34 भा०द०सं० व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व धारा 7 क्रि० ला एमेन्डमेन्ट एक्ट थाना नवाबाद जिला झाँसी व जमानत प्रार्थनापत्र सं० 273/ 2010 का अभियुक्त व विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शिवहरे का उक्त वक्तव्य youtube पर भी उपलब्ध है।

मु० अपराध सं० 85/ 2010 के जमानत प्रार्थनापत्र सं० 273/ 2010 के बावत तत्कालीन विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा यह तर्क दिया गया था कि "दौरान विवेचना न्यायालयों के अधिकारी व कर्मचारी से पूछताछ की गयी तथा सभी ने अपने बयान में कथित घटना की पुष्टि करते हुए इसमें अभियुक्तगण की संलिप्तता बताई थी "


न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि "एक पढ़े-लिखे और जिम्मेदार व्यक्तियों से एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक अपेक्षाएँ होती हैं। दिनांक 23.02.2010 को समय 11:15 बजे जब न्यायिक अधिष्ठान की अदालतें कार्य कर रही थी अधिवक्तागण के एक समूह ने जिसमें अभियुक्तगण भी सम्मिलित थे, नारे बाजी करते हुए जिला न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में जाकर कोर्ट मोहरीर को मारा पीटा तथा खिड़की दरवाजे तथा इनके काँच को तोड़ा तथा हंगामा किया तथा न्यायालय कक्ष से लगे प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में घुसकर टाईप राईटर, फैंक्स व टेलीफोन सेट तोड़ा तत्पश्चात न्यायालय कक्ष में घुसकर न्यायालय कर्मियों के साथ मारपीट की तथा न्यायालय के फर्नीचर व अन्य सामान को तोड़फोड़ कर नुकसान कारित किया। अभियुक्तगण पेशे से अधिवक्ता हैं, उन्हीं न्यायालय कक्षों में जिसमें वे पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की दलीलें देते हैं, घुसकर न्यायालय कर्मियों के साथ मारपीट करना व न्यायालय कक्ष में तोड़-फोड़ कर क्षति पहुँचाना एक गंभीर मामला पाते हुए, अभियुक्तगण 1. चन्द्रशेखर शुक्ला, 2. सुरेश सोनी, 3. प्रतिपाल सोनी का जमानत प्रार्थनापत्र सं० क्रमशः 236/ 2010, 4. राजेन्द्र खरे का जमानत प्रार्थनापत्र सं० क्रमशः 1. 260/ 2010, व 5. प्रमोद शिवहरे का जमानत प्रार्थनापत्र सं० क्रमशः 273/ 2010 दिनांक 23. 10. 2010 को विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश झाँसी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार यह वक्तव्य यह दर्शाता है कि जो खुद एक अपराधी है और जिस पर न्यायालय परिसर में तोड़-फोड़ करने का जो आरोप लगा हो और जो उक्त आरोप में जिला कारागार में निरूद्ध रहा हो, वह व्यक्ति खुले आम न्यायपालिका व न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की छवि खराब कर रहा है व दहशत पैदा कर रहा है। उक्त वक्तव्य को स्वयं मैंने सुना व मुख्य अतिथि मा० जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वयं सुना व देखा गया है एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी देखा व सुना गया है। उक्त श्री प्रमोद शिवहरे एडवोकेट स्वयं एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो खुले आम न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को मा० जनपद न्यायाधीश महोदय की उपस्थिति में इस प्रकार से न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की छवि खराब कर रहा है व दहशत पैदा कर रहा

है।

अतः मा० महोदया से निवेदन है कि उक्त श्री प्रमोद कुमार शिवहरे एडवोकेट के उक्त वकतव्य तथा विशेष रूप से पैरा 6, 7, 8 व 9 के बावत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने की कृपा करें व उक्त वकतव्य की मीडिया कर्मचारियों से सी०डी० तलब कर उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शिवहरे के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मा० उच्च न्यायालय को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय


10.12.2021
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 10. 12. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नक:

1. निमन्त्रण पत्र की छायाप्रति।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दि० 29. 03. 2021 की छायाप्रति कुल (05)।

नोट:- दिनांक- 10. 12. 2021 को कार्यालय की डाक वही में चढ़ाकर भिजवाया गया।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश ।
झाँसी ।

विषय:- दिनांक- 10. 12. 2021 को प्रेषित पत्र के संलग्नक सं० 02 में तिथि 29. 03. 2021 के स्थान पर तिथि 29. 03. 2010 पढ़े जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 10. 12. 2021 को एक शीलबन्द लिफाफा श्रीमान जी को प्रेषित किया गया था जिसके संलग्नक सं० 02 में टाईपिंग की त्रुटि से तिथि 29. 03. 2021 अंकित हो गयी है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त पत्र के संलग्नक सं० 02 में तिथि 29. 03. 2021 के स्थान पर तिथि 29. 03. 2010 पढ़े जाने की कृपा करें ।

भवदीय


13.12.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 13. 12. 2021

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

के तत्वावधान में

अधिवक्ता दिवस समारोह

शुक्रवार, 3 दिसम्बर 2021

प्रतिष्ठा में

श्रीमान्

Shri Vimal Prakash Arya

Addl. Distt. & Sessions Judge

/ F.T.C. (F.C.), Jhansi

प्रेषक

छोटे लाल वर्मा

सचिव/महामंत्री

उदय राजपूत

अध्यक्ष

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

जिला अधिवक्ता संघ, झाँसी

के तलावधान में

शुक्रवार, 3 दिसम्बर 2021 सायं 4 बजे

भारत के प्रथम राष्ट्रपति **डा. राजेन्द्र प्रसाद जी**
के जन्म दिवस समारोह के उपलक्ष्य में

मुख्य अतिथि

श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाँसी

विशिष्ट अतिथि

श्री रवीन्द्र कुमार IAS
जिलाधिकारी, झाँसी

श्री जानकी शरण पाण्डेय
पूर्व चेयरमैन बार काउन्सिल उ.प्र.

श्री शिव हरि मीणा, IPS
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी

के आतिथ्य में **अधिवक्ता दिवस**

का आयोजन किया जा रहा है, आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

कार्यक्रम स्थल : झाँसी क्लब, झाँसी

उदय राजपूत एड. - अध्यक्ष

छोटे लाल वर्मा एड. - महामंत्री /सचिव

अजय कुमार मिश्रा एड. - वरिष्ठ उपाध्यक्ष

विकास यादव एड. - कनिष्ठ उपाध्यक्ष

अशोक कुमार पटैरिया एड. - कोषाध्यक्ष

अविनाश मिश्रा एड.- संयुक्त सचिव प्रशासन

सूर्यप्रकाश राय एड. - संयुक्त सचिव लाईब्रेरी

हिमांशु सक्सेना एड. - संयुक्त सचिव प्रकाशन

वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य

बृजेन्द्र सिंह, राजेश कुमार चौरसिया, मोहन प्रकाश खरे, संजीव कुमार चतुर्वेदी,

नरेन्द्र अग्रवाल, अरविन्द कुमार सक्सेना

कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य

हैरान सिंह यादव, अमित कुमार शर्मा, अमित कुमार पचौरी,

पवन नगाइच, नवीन मट्टू, समीर तिवारी

प्रेषक,

जयतेन्द्र कुमार

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,

न्यायालय सं०- १, झाँसी ।

सेवा में,

श्री विमल प्रकाश आर्य,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.)

(चौहदवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित),

झाँसी ।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित जन सूचना प्रार्थना पत्र दिनांकित २२ - ०२-
२२ के प्रश्न सं०- १ संदर्भ में प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, झाँसी से आख्या प्राप्त हुई।
प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्या की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है। तदनुसार सूचित हो।



(जयतेन्द्र कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,


न्यायालय सं०- १, झाँसी ।

दिनांक ०८- ०३- २०२२

सलगनक- यथोक्तानुसार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-1, झाँसी (उ०प्र०)



10.03.22

सेवा में,


माननीय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी /
अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1,
झांसी।

महोदय,


सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 (14वे वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी द्वारा दिये गये आवेदन दिनांकित 22.02.2022 पर माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.02.2022 के माध्यम से अपेक्षित सूचना चाही गयी, जिसके संबंध में प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार निम्नवत है :-

चाही गयी सूचनाओं का विवरण।	उत्तर
प्रश्न संख्या-1 के संबंध में	प्रश्नगत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

सादर।


(जानकी प्रसाद-द्वितीय) 08.03.22

प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय,
झांसी।


मंसरिम/रीडर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झांसी।